रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271692
SG-DL-E-10042026-271692

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 9, 2026/ चैत्र 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 06
No. 98]	DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/ CHAITRA 19, 1948	[N. C. T. D. No. 06

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

फा.सं. 27/15/2025–न्यायिक/अधी.वि./1254-1256.—विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39) की धारा 29-A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) और धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के अनुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण विनियम, 2002 (संशोधन 2021) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

(1) इन विनियमों को दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. **विनियम** 5(2) **में संशोधन—**

"नौ" शब्द के स्थान पर **"बारह"** शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

रितेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th April, 2026

F.No. 27/15/2025-Judl./Suptlaw/1254-1256.— In exercise of the powers conferred under Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) and in consultation with the Hon'ble Justice of the Delhi High Court, as required by sub-section (4) of Section 9 and clause (c) of sub-section (2) of Section 10 of the said Act, the State Legal Services Authority hereby makes the following regulations to amend the Delhi State Legal Services Authority Regulations, 2002 (Amendment 2021), namely:-

1. These regulations be called "Delhi State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2026".
2. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Regulation 5 (2):

"The word **Nine** is substituted with word **Twelve**".

REETESH SINGH, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.10 16:01:49 +05'30'